# माध्यस्थम विधि

**प्रश्न 1निम्नलिखित में से किन्ही दो पर** टिप्पणी **लिखिये**

**सुलह कार्यवाही कि समाप्ति**

**निपटारा करार**

सुलहकर्ताओं**कि नियुक्ति**

उत्तर1**सुलह कार्यवाही कि समाप्ति**

सुलह कार्यवाही की समाप्ति-सुलह कार्यवाही समाप्त हो जायेगी

(क) करार की तिथि पर , पक्षकारों द्वारा, निपटारा करार को हस्ताक्षरित करने के द्वारा, या (ख) इस प्रभाव के पक्षकारों के साथ परामर्श के पश्चात् , सुलहकर्ता की एक लिखित घोषणा के द्वारा

कि सुलह के अग्रिम प्रयासों की घोषणा की तिथि पर इससे अधिक न्यायोचित नहीं ठहराया

जाता है; (ग) इस प्रभाव को सम्बोधित किये गये पक्षकारों की एक लिखित घोषणा के द्वारा कि सुलहकार्यवाही की घोषणा की तिथि पर समाप्त कर दिया जाता है, (घ) दूसरे पक्षकार और सुलहकर्ता के एक पक्षकार को एक लिखित घोषणा के द्वारा , यदि नियुक्ति

की जाय तो इस प्रभाव के साथ कि सुलह कार्यवाही , घोषणा की तिथि पर समाप्त कर दी जाती है।

टिपणी धारा 76 सुलह कार्यवाहियों के पर्यावसान से सम्बन्धित है तथा चार परिस्थितियों का वर्णन करती है जिसमें सुलह कार्यवाहियों का पर्यावसान हो जाता है। यह धारा UNCITRAL के सुलह नियमावली 1980 के अनुच्छेद 15 के अनुरूप है। यह धारा पक्षकारों के स्वायत्तता व मैत्रीपूर्ण समझौते के सिद्धान्त को समाहित करती है।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

PGS National College Of Law

## माध्यस्थम विधि

धारा 76 के अनुसार निम्नलिखित चार परिस्थितियों में सुलह कार्यवाही का पर्यावसान हो जायेगा(क) सुलह कार्यवाही निपटारा करार पर पक्षकारों के हस्ताक्षर करने पर हस्ताक्षर के तिथि सेसमाप्त समझी जायेगी। उल्लेखनीय है कि एक सफल सुलह प्रक्रिया का अन्त निपटारा करार होता है तथा धारा 73 (2) के अन्तर्गत पक्षकार निपटारा करार पर हस्ताक्षर करते हैं। धारा 76(क) यही उपबन्धित करती है कि इस प्रकार निपटारा करार पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है उसी दिन से सुलह की कार्यवाही समाप्त मानी जाती है। सुलह कार्यवाही में सुलहकर्ता का एक दायित्व होता है कि वह सुलह के बिन्दुओं का पता लगाये। अतः जब कभी सुलह कार्यवाही की किसी अवस्था पर पक्षकारों के साथ विचारविमर्श करने के पश्चात् सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि सुलह के आगे के प्रयास न्यायोचित नहीं है तब वह इस बात की लिखित घोषणा करेगा तथा धारा 76 (ख) के प्रभाव

से घोषणा की तिथि से सुलह कार्यवाही का पर्यावसान हो जायेगा। (ग) धारा 76 (ग) के अनुसार यदि सुलह के दोनों पक्षकार सुलहकर्ता को सम्बोधित करते हये

एक लिखित घोषणा कर दें कि सुलह की कार्यवाहियाँ पर्यावसित हो गयी हैं तो ऐसी घोषणा की तिथि से सुलह कार्यवाहियाँ पर्यावसित समझी जायेगी। इसका मूल कारण यह है कि जब सुलह के पक्षकार ही सुलह के पक्ष में नहीं है तो सुलह कार्यवाही की सफलता सम्भव नहीं है। अतः यदि पक्षकार स्वयं घोषणा कर दे (लिखित रूप से) तो सुलहकर्ता के सहमति की

कोई आवश्यकता नहीं है तथा सुलह कार्यवाही पर्यावसित समझी जायेगी। (घ) यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस आशय की लिखित घोषणा की सूचना देता हैं कि

सुलह कार्यवाहियाँ पर्यावसित हो गयी हैं तो उस घोषणा की तिथि से सुलह कार्यवाहियाँ पर्यावसित हो जायेगी। यदि सुलहकर्ता की नियुक्ति की जा चुकी है तो पक्षकार को सुलहकर्ता



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

को भी कार्यवाही के पर्यावसान से सम्बन्धित लिखित घोषणा की सूचना देनी होगी। धारा 76 (क) में सुलह कार्यवाहियों के पर्यावसान का उपबन्ध सकारात्मक है तात्पर्य यह है कि इस अपधारा के अधीन कार्यवाही का पर्यावसान सफल सुलह को दर्शाता है अर्थात् विवाद का सुलह द्वारा सफलतापूर्वक निपटारा कर लिया गया है तभी करार हस्ताक्षरित किया गया है।

धारा 76 (ख) से (घ) तक का उपबन्ध नकारात्मक है अर्थात् इन उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही के पर्यावसान का कारण सुलह की विफलता है तथा पक्षकार स्वयं या फिर सुलहकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँच गये हैं कि जब सुलह कार्यवाही सम्भव नहीं है तभी इन उपखण्डों के अन्तर्गत सुलह कार्यवाही पर्यावसित होती है। उपधारा (ग) तथा (च) में तो पक्षकारों को कार्यवाही के पर्यावसान के लिये सुलहकर्ता के सहमति की भी आवश्यकता नहीं है। इसके अतिक्ति कार्यवाही के पर्यावसान से सम्बन्धित उपबन्ध धारा 79 (3) में भी दिये गये हैं।

निपटारा करार

73. निपटारा करार-(1) जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि एक निपटारा के वे तत्व हैं जो पक्षकारों के लिये स्वीकृत करने योग्य है , जब वह संभव निपटारा की शर्तों को सूचित करेगा और उनके प्रेक्षणों के लिये पक्षकारों को उन्हें प्रस्तुत करेगा। पक्षकारों के प्रेक्षणों को प्राप्त करने के पश्चात्, सुलहकर्ता, ऐसे प्रेक्षणों के प्रकाश में एक असंभव निपटारा की शर्तों को पुनः सूचित कर सकेगा।

(2) यदि पक्षकारगण विवाद के एक निपटारे पर करार करते हैं, तो वे लिखित निपटारा करार की रचना कर सकते हैं और उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि सुलहकर्ता



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

द्वारा निवेदन किया जाता, तो सुलहकर्ता निपटारा करार को आरेखित कर सकते हैं या आरेखित करने में सहायता कर सकते हैं।

(3) जब पक्षकारगण निपटारा करार पर हस्ताक्षर कर देते हैं , तब यह क्रमशः उनके अधीन दावा करने वाले पक्षकारों और व्यक्तियों पर बाध्यकारी और अंतिम होगा।

(4) सुलहकर्ता निपटारा करार को प्रमाणित करेगा और पक्षकारों में प्रत्येक को उसकी एक प्रतिलिपि की आपूर्ति करेगा।

टिप्पणी धारा 73 निपटारा करार की तैयारी करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रावधान करती है न कि निपटारा करार की परिभाषा करती है। यह धारा UNCITRAL की सुलह नियमावली की धारा 13 के अनुरूप है।

अधिनियम में निपटारा करार को कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है। धारा 73 से निपटारा करार की निम्नलिखित परि भाषा निकाली जा सकती है- "निपटारा करार एक ऐसा दस्तावेज है , जिसमें विवाद के पक्षकारों द्वारा सुलह के आधार पर विवाद के निपटारे के लिये समझौते की शर्ते अन्तर्विष्ट रहती है तथा यह पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित व सुलहकर्ता द्वारा अधिप्रमाणित रहता है। दूसरे शब्दों में निपटारा करार लिखित दस्तावेज है , जिसमें पक्षकारों द्वारा सहमत शर्तों के आधार पर विवाद का निपटारा अन्तर्विष्ट रहता है। यह निपटारा करार धारा 73 (2) के अन्तर्गत तैयार किया जाता है।

एक सफल सुलह कार्यवाही निपटारा करार द्वारा समाप्त होती है। निपटारा करार ही इस तथ्य का साक्ष्य है कि सुलहकर्ता विवाद का निपटारा करने में सफल हो सका है।

धारा 73 (1) के अनुसार यदि सुलहकर्ता इस बात से सन्तुष्ट है कि विवाद में कुछ ऐसे तला उपस्थित हैं। जिनके आधार पर पक्षकारों के मध्य विवाद का निपटारा कराया जा सकता है तो वह

(i) सम्भावित करार की शर्तों को तैयार करेगा , और ( ii) उसे पक्षकारों को उनके अवलोकन के लिये देगा। जब पक्षकारों द्वारा सम्भावित करार की शर्तों को देख लिया



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

जाये तो उनके द्वारा किये गये अवलोकनी है। परिप्रेक्ष्य में (अर्थात् उनके द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप) सम्भावित करार की शर्तों को पुनः तैयार करेगा। तात्पर्य यह है कि जब एक बार सुलहकर्ता सुलह की सम्भावित शर्तों को तैयार करता है और उसे पक्षकारीको देखने के लिये देता है तब ऐसा सम्भव है कि पक्षकार कुछ शर्तों पर तैयार हो और कुछ को संशोधित करने को कहें। अत: वह सम्भावित शर्तों द्वारा पक्षकारों का मन भी टटोलता है कि उनके बीच किस सीमा तक सुलह की सम्भावना है , स्पष्ट है कि सुलह मूल रूप से पक्षकारों की सहमति पर ही निर्भर है , क्योंकि सुलहकर्ता विवाद के निपटारे के लिये पक्षकारों को बाध्य नहीं कर सकता है।

धारा 73 (2) में यह उपबन्धित है कि जब पक्षकार निपटारे के लिये सहमत हो जाते हैं तो वे स्वयं ही एक करार तैयार कर हस्ताक्षर कर सकते हैं, इसके लिये उन्हें सुलहकर्ता के सहमति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यदि पक्षकारों द्वारा अनुरोध किया जाता है तो सुलहकर्ता स्वयं ही निपटारा करार तैयार कर सकेगा अथवा तैयार करने में पक्षकारों की मदद कर सकेगा।

धारा 73 (3) निपटारा करार को बाध्यकारी प्रभाव प्रदान करती है। इसके अनुसार जब पक्षकार निपटारा करार पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह अन्तिम तथा पक्षकारों व उसके अधीन दावा करने वालों पर बाध्यकारी होगा तथा वे उस विवाद के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। (जब तक कि निपटारा करार को अपास्त न कर दिया जाये)।

सुलहकर्ता को धारा 73 (4) के अधीन निपटारा करार को अनुप्रमाणित करने की शक्ति दी गयी है तथा उस पर यह कर्तव्य अधिरोपित है कि वह निपटारा करार की एक-एक प्रमाणित प्रति प्रत्येक पक्षकार को

___ धारा 73 में निपटारा करार के आवश्यक तत्व को समाविष्ट करके सुलह-प्रपत्र को तैयार किये जाने पर निर्देश अन्तर्निहित किया गया है। वस्तुत: पक्षकारों के सहमति के आधार पर ही सुलहकर्ता द्वारा उसका अन्तिम प्रारूपण किया जाता है , उसके बाद ही वह पक्षकारों पर आबद्धकर एवं अन्तिम माना जायेगा। हरेश दयाराम ठाकुर बनाम



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

भहाराष्ट्र राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति डी० पी० महापात्र एवं न्यायमूर्ति आर० पी० सेट्टी की खण्डपीठ ने सुलहकर्ता द्वारा तैयार किये गये सुलहनामे को अविधिमान्य करार दिया। इस आधार पर उसे वैध मानने से इन्कार कर दिया गया कि सुलहकर्ता ने बिना पक्षकारों के हस्ताक्षर लिये और बिना विवादित बिन्दुओं पर उनसे चर्चा किये हुये गोपनीय ढंग से एक सुलह अनुबन्ध तैयार कर लिया जिसे एक लिफाफे में सीलबन्द करके न्यायालय को प्रेषित कर दिया। सुलहकर्ता ने अपनी रिपोर्ट में यह निर्धारित कर दिया कि प्रतिउत्तरदाता से 4,00,000 रुपये का भुगतान लेकर उसे मकान का कब्जा दिला दिया जाय ! इस प्रकार के सुलह अनुबन्ध को उच्च न्यायालय ने माध्यस्थम् पंचाट के समतुल्य मान लिया तथा अपीलकर्ता की आपत्ति पर विचार करने से इन्कार कर दिया। मुम्बई उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध अपील संस्थित की गई उसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया कि माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 73 एवं 74 की घोर अवहेलना की गई है , इसलिये सुलह अनुबन्ध को पूर्णत: अवैध एवं निष्प्रभावी धारित किया , तथा उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया।

समान मान्य होता है, जबकि धारा 73 में निपटारा करार (Settlement Agreement) सुलहनामे का एक परिणामी प्रारूप है। दोनों में अन्तर यह है कि सुलह द्वारा जो निपटारा करार तैयार होता है उसे पक्षकारों के द्वारा हस्ताक्षरित होने पर सुलहकर्ता (Conciliator) के द्वारा अनुप्रमाणन ( Authentication) किया जाता है. तभी वह प्रवर्तनीय माना जाता है। उसको वाद न्यायालय उसे स्वीकृति देकर समझौता करार को मान्यता देता है, और तब उसके पश्चात् न्यायालय डिक्री जारी कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 30 के अधीन अधिप्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होती।

समझौता करार की प्रास्थिति और प्रभाव जिसे अगली धारा में उपबन्धित किया गया है, उसकी माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम की धारा 30 में सन्दर्भित परिनिर्धारण पंचाट के समुतल्य अवधारणा की गयी है। इसीलिये उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त वाद में



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

यह इंगित किया है कि निपटारा पंचाट तभी बाध्यकारी माना जायेगा तब पक्षकारों की सहमति एवं संज्ञान में की गयी हो।

74. निपटारा करार का स्तर और प्रभाव-निपटारा करार का वही स्तर और प्रभाव होगा यदि कि यह धारा 36) के अधीन एक माध्यस्थम् अधिकरण के द्वारा किये गये विवाद के सार पर शर्तों पर किये गये करार पर एक माध्यस्थम् अधिकरण है।

टिप्पणी धारा 73 (3) के द्वारा जहाँ निपटारा करार को बाध्यकारी प्रभाव दिया गया है वहीं इस धारा द्वारा निपटारा कार की प्रास्थिति और प्रभाव को भी सुस्थापित किया गया है।

माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम , 1996 की धारा 30 निपटारे के बारे में विवेचना करती है। इसके अनुसार माध्यस्थम् अधिकरण विवाद को निपटारे द्वारा भी सुलझा सकता है तथा इस धारा के अनुसार निपटारा का वही प्रभाव होगा जो माध्यस्थम् पंचाट का होता है।

धारा 74 के द्वारा इसी बात को पुष्ट किया गया है तथा स्पष्ट किया गया है कि निपटारा करार का वही प्रास्थिति व प्रभाव होगा जो धारा 30 के अन्तर्गत विवाद के सार पर माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिये गये माध्यस्थम् पंचाट का होता है। यह प्रावधान महत्वपूर्ण इस कारण है कि इसी प्रावधान के आधार पर निपटारा करार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 36 से स्पष्ट है कि माध्यस्थम् पंचाट को न्यायालय की डिक्री का स्तर प्रदान किया गया है और धारा द्वारा निपटारा करार को माध्यस्थम् पंचाट का स्तर प्रदान किया गया है , अत: निपटारा करार को भी न्यायालय की डिक्री का स्तर प्राप्त है तथा इसका प्रवर्तन न्यायालय की डिक्री की भाँति कराया जा सकता है। .

इस धारा से परोक्ष रूप से इस बात का भी अनुमान लगता है कि चूंकि निपटारा करार को माध्यस्थम् पंचाट का स्तर दिया गया है, अत: यहाँ पर धारा 34 प्रयोज्य होगी तथा निपटारा करार को ही अधिनिमय की धारा 34 के अन्तर्गत अपास्त कराया जा सकेगा।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

75. गोपनीयता-तत्समय प्रवृत्त होने वाली किसी दूसरी विधि में अन्तर्विष्ट किये गये किसी भी बात के होते हुये , सुलहकर्ता और पक्षकारगण , सुलह सम्बन्धी कार्यवाही से सम्बन्धित सभी मामलों को गोपनीय रखेगा। गोपनीय तौर पर , निपटारा करार का विस्तार भी करेगा , सिवाय जहां इसका प्रकटीकरण संचालन और प्रवर्तन के लिये आवश्यक है।

टिप्पणी प्रस्तुत धारा सुलह कार्यवाही की अनिवार्य आवश्यकता से सम्बन्धित है तथा इसे अधिनियम की धारा 70 के विरोध में नहीं देखना चाहिये। धारा 70 में एक पक्ष द्वारा दी गयी सूचना का दूसरे पक्षकार पर प्रकटन का प्रावधान है जबकि इस धारा में गोपनीयता की बात कही गयी है। धारा 70 नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है जबकि धारा 75 सुलह कार्यवाही की सफलता का मूलतंत्र है। कुछ विवाद इस प्रकार के होते हैं कि पक्षकार उनमें गोपनीयता रखने की अपेक्षा करते हैं जिससे उसकी विश्वसनीयता को धक्का न लगे।

76. सुलह कार्यवाही की समाप्ति-सुलह कार्यवाही समाप्त हो जायेगी

(क) करार की तिथि पर , पक्षकारों द्वारा , निपटारा करार को हस्ताक्षरित करने के द्वारा, या (ख) इस प्रभाव के पक्षकारों के साथ परामर्श के पश्चात् , सुलहकर्ता की एक लिखित घोषणा के द्वारा

कि सुलह के अग्रिम प्रयासों की घोषणा की तिथि पर इससे अधिक न्यायोचित नहीं ठहराया

जाता है; (ग) इस प्रभाव को सम्बोधित किये गये. पक्षकारों की एक लिखित घोषणा के द्वारा कि सुलह

कार्यवाही की घोषणा की तिथि पर समाप्त कर दिया जाता है , घ) दूसरे पक्षकार और सुलहकर्ता के एक पक्षकार को एक लिखित घोषणा के द्वारा, यदि नियुक्ति

की जाय तो इस प्रभाव के साथ कि सुलह कार्यवाही , घोषणा की तिथि पर समाप्त कर दी जाती है।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

टिप्पणी धारा 76 सुलह कार्यवाहियों के पर्यावसान से सम्बन्धित है तथा चार परिस्थितियों का वर्णन करती है जिसमें सुलह कार्यवाहियों का पर्यावसान हो जाता है। यह धारा UNCITRAL के सुलह नियमावली 1980 के अनुच्छेद 15 के अनुरूप है। यह धारा पक्षकारों के स्वायत्तता व मैत्रीपूर्ण समझौते के सिद्धान्त को समाहित करती है। धारा 76 के अनुसार निम्नलिखित चार परिस्थितियों में सुलह कार्यवाही का पर्यावसान हो जायेगा(क) सुलह कार्यवाही निपटारा करार पर पक्षकारों के हस्ताक्षर करने पर हस्ताक्षर के तिथि से

समाप्त समझी जायेगी। उल्लेखनीय है कि एक सफल सुलह प्रक्रिया का अन्त निपटारा करार होता है तथा धारा 73 (2) के अन्तर्गत पक्षकार निपटारा करार पर हस्ताक्षर करते हैं। धारा 76(क) यही उपबन्धित करती है कि इस प्रकार निपटारा करार पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर

कर दिया जाता है उसी दिन से सुलह की कार्यवाही समाप्त मानी जाती है। (ख) सुलह कार्यवाही में सुलहकर्ता का एक दायित्व होता है कि वह सुलह के बिन्दुओं का पता

लगाये। अत: जब कभी सुलह कार्यवाही की किसी अवस्था पर पक्षकारों के साथ विचारविमर्श करने के पश्चात् सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि सुलह के आगे के प्रयास न्यायोचित नहीं है तब वह इस बात की लिखित घोषणा करेगा तथा धारा 76 (ख) के प्रभाव से घोषणा की तिथि से सुलह कार्यवाही का पर्यावसान हो जायेगा। धारा 76 (ग) के अनुसार यदि सुलह के दोनों पक्षकार सुलहकर्ता को सम्बोधित करते हुये एक लिखित घोषणा कर दें कि सुलह की कार्यवाहियाँ पर्यावसित हो गयी हैं तो ऐसी घोषणा की तिथि से सुलह कार्यवाहियाँ पर्यावसित समझी जायेगी। इसका मूल कारण यह है कि जब सुलह के पक्षकार ही सुलह के पक्ष में नहीं है तो सुलह कार्यवाही की सफलता सम्भव नहीं है। अत: यदि पक्षकार स्वयं घोषणा कर दे (लिखित रूप से) तो सुलहकर्ता के सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है तथा सुलह कार्यवाही पर्यावसित समझी जायेगी। यदि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को इस आशय की लिखित घोषणा की



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

सूचना देता है कि सुलह कार्यवाहियाँ पर्यावसित हो गयी हैं तो उस घोषणा की तिथि से सुलह कार्यवाहियाँ पर्यावसित हो जायेगी। यदि सुलहकर्ता की नियुक्ति की जा चुकी है तो पक्षकार को सुलहकर्ता

को भी कार्यवाही के पर्यावसान से सम्बन्धित लिखित घोषणा की सूचना देनी होगी। धारा 76 (क) में सुलह कार्यवाहियों के पर्यावसान का उपबन्ध सकारात्मक है तात्पर्य यह है कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही का पर्यावसान सफल सुलह को दर्शाता है अर्थात् विवाद का सुलह द्वारा सफलतापूर्वक निपटारा कर लिया गया है तभी करार हस्ताक्षरित किया गया है।

सुलहकर्ताओकि नियुक्ति

आमंत्रण की विवक्षित अस्वीकृति-धारा 62(4) यह प्रावधानित करती है कि जब सुलह प्रारम्भ करने वाला पक्षकार सुलह के लिये आमंत्रण भेजता है और उस आमंत्रण में दूसरे पक्ष के द्वारा उत्तर देने के लिये कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं है तो जिस तिथि को आमंत्रण भेजा गया है उस तिथि के तीस दिन के भीतर यदि कोई संसूचना (उत्तर) नहीं प्राप्त होती, अथवा यदि उस आमंत्रण में कोई समय विनिर्दिष्ट किया गया है और उस विनिर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो दूसरा पक्षकार यह मान सकेगा कि आमंत्रण को नामंजूर कर दिया गया है।

परन्तु यदि सुलह प्रारम्भ करने वाला पक्षकार चाहे तो उत्तर न प्राप्त होने की दशा में समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। इस धारा के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। बल्कि सुलह प्रारम्भ करने वाले पक्षकार पर यह शर्त जरूर अधिरोपित की गयी है कि यदि वह उत्तर न प्राप्त करने को आमंत्रण की अस्वीकृति के रूप में समझता है तो उसे इस तथ्य की सूचना दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में देनी होगी।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

विवाद का कोई भी पक्षकार सुलह के लिये आमंत्रण दे सकता है। दूसरे पक्षकार को यदि आमंत्रण स्वीकार हो तो उसे इसकी लिखित सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी। आमंत्रण में ही उसे स्वीकार करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की जा सकती है जो 30 दिन से अधिक नहीं होगी। सुलह के लिये आमंत्रण देने वाला पक्षकार अपने आमंत्रण में यह कह सकता है कि यदि आमंत्रण प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो वह मान लेगा कि सुलह के लिये निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। - अतः धारा 62 यह सुव्यवस्थित करती है कि आमंत्रण और उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति लिखित रूप में होगी और सुलह की कार्यवाही तभी प्रारम्भ हो सकती है जब विवाद के दोनों पक्षकार सुलह के लिये सहमत हों।

63. सुलहकर्ताओं की संख्या-(1) सुलहकर्ता एक ही होगा जब तक पक्षकारगण इस पर सहमति नहीं व्यक्त करते कि दो या तीन सुलहकर्ता होंगे। _(2) जहां एक से अधिक सुलहकर्ता हैं, वहां उनको संयुक्त रूप से कार्य करने के लिये एक सामान्य नियम के रूप में होना चाहिये।

टिप्पणी (धारा 63 सुलहकर्ताओं की संख्या निर्धारित करती है तथा स्पष्ट करती है कि सुलहकर्ताओं की अधिकतम संख्या तीन हो सकती है। यह धारा UNCITRAL की सुलह नियमावली, 1980 के अनुच्छेद 3 पर आधारित है।

धारा 63(1) के अनुसार सुलहकर्ता एक ही होगा परन्तु साथ ही साथ यह पक्षकारों को स्वतन्त्रता भी देती है कि वे यदि चाहें तो इस बात पर भी सहमत हो सकते हैं कि दो या तीन सुलहकर्ता होंगे अर्थात् यदि वे संख्या पर असहमत हों तो एक ही सुलहकर्ता होगा। एक ही सुलहकर्ता होने का लाभ यह है कि कार्यवाहियाँ कम खर्चे में त्वरित गति से हो सकती है। एक सुलहकर्ता होने से उसका पक्षकारों से अधिकतम तालमेल हो सकेगा जबकि एक से अधिक सुलहकर्ता होने पर उनके बीच भी मतभेद की सम्भावना बनी रहती है।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

## माध्यस्थम विधि

माध्यस्थम् की कार्यवाही में मध्यस्थों की संख्या सदैव विषम ही होगी। परन्तु सुलह कार्यवाहियों में सध्या सम अथवा विषम दोनों हो सकता है। इसका मूल कारण यह है कि माध्यस्थम् में मध्यस्थ की भूमिका विवाद पर निर्णय देने की होती है जबकि सुलह में सुलहकर्ता पक्षकारों के बीच किसी विवाद पर निर्णय नहीं देता है बल्कि वह विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह कराने का कार्य करता है।

यदि पक्षकारों के द्वारा एक से अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है , तो धारा 63 (2) के अनुसार उनका यह कर्तव्य है कि वे संयुक्त रूप से कार्य करे , तात्पर्य है कि सुलहकर्ताओं को पक्षकारों के साथ

युक्त बैठक करने का ही प्रयास करना चाहिये ताकि पक्षकारों का सुलहकर्ताओं पर विश्वास बना रहे एवं Jह की कार्यवाहियाँ शीघ्रता से तथा सुगमता से संचालित हो सके।

टिप्पणी पूर्ववर्ती धारा में सुलहकर्ताओं की संख्या के बारे में प्रावधान बताया गया है , प्रस्तुत धारा में सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध है तथा इस उपबन्ध में सुलहकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में पक्षकारों की स्व तंत्रता के सिद्धान्त को समाहित किया गया है। यह धारा UNCITRAL से सुलह नियमावली 1980 के अनुच्छेद 4 के अनुसार ही है।

धारा 64 (1) को धारा 64 (2) के अध्यधीन रखा गया है। तात्पर्य यह है कि जब उपधारा (2) लागू हो जाती है तो उपधारा (1) लागू नहीं होगी। इसका प्रभाव यह है कि यदि पक्षकारों ने उपधारा ( 2) के अधीन करार द्वारा सुलहकर्ता की नियुक्ति का अधिकार किसी संस्था या तीसरे व्यक्ति को दे दिया गया है तो उपधारा ( 1) के अन्तर्गत सुलहकर्ता को नियुक्त करने की उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। इस उपधारा के अन्तर्गत सुलहकर्ता के चयन में ऐसी संस्था या व्यक्ति को पक्षकारों की राय या उनकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। . धारा 64 (1) (क) के अनुसार यदि सुलह कार्यवाही एकमात्र सुलहकर्ता द्वारा संचालित होनी है तो दोनों



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

पक्षकारों की सुलहकर्ता के नाम पर सहमति अनिवार्य होगी , अर्थात् एकमात्र सुलहकर्ता की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से ही हो सकेगी।

उपखण्ड (ख) के अनुसार यदि पक्षकारों के बीच दो सुलहकर्ताओं की नियुक्ति का करार है तो प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार होगाकि वह एक सुलहकर्ता की नियुक्ति करे। इसके लिये दूसरे पक्षकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड (ग) के अनुसार यदि पक्षकारों ने यह करार किया है कि सुलह कार्यवाही तीन सुलहकर्ताओं द्वारा संचालित होगी तो प्रत्येक पक्षकार एक-एक सुलहकर्ता नियुक्त करेगा तथा तीसरे सुलहकर्ता की नियुक्ति दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से ही होगी। यह तीसरा मध्यस्थों की नियुक्ति से थोड़ा भिन्न इस प्रकार है कि माध्यस्थम् में तीसरा मध्यस्थ अन्य दो मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सुलहकर्ता की नियुक्ति का अनुकल्पी तरीका [ (धारा 64 (2)]-धारा 64 (1) के अन्तर्गत सुलहकर्ता या सुलहकर्ताओं की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा किये जाने का प्रावधान है। धारा 64 (2) में सुलहकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुकल्पी प्रावधान किये गये हैं तथा इन प्रावधानों को उपधारा (1) पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है।

इस उपधारा के अधीन पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता प्राप्त है कि वे सुलहकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपयुक्त संस्था अथवा व्यक्ति से सहायता प्राप्त कर सके अथवा पक्षकार इस बात पर सहमत हो जायें कि एक या अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति ऐसी संस्था या व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। इस प्रकार पक्षकार उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा दो प्रकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं

(i) धारा 64 (2) (क) के अन्तर्गत वे ऐसी संस्था या व्यक्ति से सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने

के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के नाम देने का अनुरोध कर सकते हैं। धारा 64 (2) (ख) के अन्तर्गत पक्षकार करार द्वारा ऐसी संस्था या व्यक्ति को ही यह



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

अधिकार दे सकते हैं कि वह स्वयं उपयुक्त व्यक्ति को सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त कर सके। उल्लेखनीय है कि धारा 64 (2) (क) के अन्तर्गत विवाद का एक पक्षकार भी अनुरोध कर सकता है तथा इसके लिये दूसरे पक्षकार के सहमति की आवश्यकता नहीं है। ___ उपधारा (2) का परन्तुक संस्था अथवा व्यक्ति पर कुछ कर्तव्य आरोपित करता है, यह परन्तुक यह उपबन्धित करता है कि ऐसी संस्था या व्यक्ति

(i) सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये व्यक्तियों की सिफारिश या नियुक्ति करते समय ऐसी

बातों को ध्यान में रखेंगे जिनसे कि स्वतन्त्र एवं तटस्थ सुलहकर्ताओं की नियुक्ति हो सके तथा,

एकमात्र या तीसरे सुलहकर्ता की नियुक्ति की दशा में , यदि ऐसा अपेक्षित हो तो वह ऐसा __ व्यक्ति हो जो पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का हो जिससे स्वतन्त्रता व तटस्थता से

सुलह कार्यवाहियों या सम्पादन हो सके। = सम्भवतः ऐसी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह के विषय में की जाती है कि एकमात्र या तीसरा सुलहकर्ता सम्बद्ध पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का हो।

65. सुलहकर्ता को कथनों (विवरणों) का प्रस्तुतीकरण-( 1) एक सुलहकर्ता , उसकी नियुक्ति पर विवाद की सामान्य प्रकृति और वाद-बिन्दु का उल्लेख करने वाला एक संक्षिप्त लिखित कथन उसके प्रस्तुत करने का निवेदन प्रत्येक पक्षकार से कर सकेगा। प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, ऐसे कथन की एक प्रतिलिपि भेज देगा।

(2) सुलहकर्ता, उसकी दशा का एक अग्रेतर लिखित कथन, उसके समर्थन में तथ्यों और किसी ऐसे दस्तावेज एवं दूसरे साक्ष्य जिसे कि इस प्रकार का पक्षकार उचित समझता है के द्वारा आपूर्ति किये गये उसके समर्थन में आधारों को उसको प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक पक्षकार से निवेदन कर सकेगा।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

(3) सुलह-कार्यवाही के किसी भी चरण पर सुलहकर्ता, उसे ऐसी कोई अतिरिक्त सूचना, उसको भेजने के लिये एक पक्षकार से अनुरोध कर सकेगा जिसे वह समीचीन समझता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा और इस भाग की निम्नलिखित सभी धाराओं में सुलहकर्ता शब्द 'यथास्थिति' एक एकल सुलहकर्ता, दो या तीन सुलहकर्ताओं के प्रति लागू होता है।

PGS National College Of Law



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

## माध्यस्थम विधि

**प्रश्न २ सुलह कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात कि प्रक्रिया कि व्यख्या किजिये**

उत्तर २ **सुलह कार्यवाही का प्रारम्भ**-(1) सुलह को प्रारम्भ करने वाला पक्षकार विवाद के विषय का संक्षिप्त तौर पर अभिज्ञापन करने के लिये एक लिखित आमंत्रण भेजेगा।

(2) सुलह कार्यवाही उस समय प्रारम्भ होगी जब दूसरा पक्षकार सुलह करने के लिये लिखित आमंत्रण को स्वीकार करता है। - ( 3) यदि दूसरा पक्षकार आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, तो कोई सुलह की कार्यवाही नहीं होगी।

(4) यदि सुलह प्रारम्भ करने वाला पक्षकार उस तिथि से तीस दिनों के भीतर एक उत्तर नहीं प्राप्त करता है जिस पर वह आमंत्रण भेजता है , और उस समय के भीतर जिसे आमंत्रण में विनिर्दिष्ट किया गया , तो वह सुलह करने के लिये आमंत्रण की अस्वीकृति होने के रूप में इसके साथ व्यवहार करने का चुनाव कर सकेगा और यदि वैसा चुनाव करता है तो वह तद्नुसार दूसरे पक्षकार को लिखित तौर पर सूचना देगा।

टिप्पणी धारा 62 सुलह प्रक्रिया के प्रारम्भ के सम्बन्ध में प्रावधान करती है तथा यह धारा UNCITRAL के सुलह नियमावली 1980 की धारा 2 के अनुरूप है। धारा 62 में सुलह कार्यवाही के प्रारम्भ हेतु कुछ शर्ते दी गयी हैं ये शर्ते निम्नलिखित हैं(i) धारा 62 (1) के अनुसार सुलह के लिये आमंत्रण केवल लिखित संसूचना के आधार पर ही हो सकेगा, (ii) ऐसा लिखित आमंत्रण सुलह को प्रारम्भ करने वाले पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को भेजा जायेगा , (iii) ऐसे लिखित आमंत्रण में विवाद की विषय वस्तु का संक्षिप्त रूप से उल्लेख भी होगा।

अधिनियम द्वारा आमंत्रण हेतु कोई प्रारूप नहीं निर्धारित किया गया है। अतः आमंत्रण किसी भी प्रारुप पर हो सकता है परन्तु आमंत्रण के द्वारा सुलह प्रारम्भ करने वाले पक्षकार का यह आशय स्पष्ट होना चाहिये कि वह किस विवाद के किस विषय का सुलह द्वारा निपटारा करना चाहता है। (iv) धारा 62 (2) में यह स्पष्ट है कि सुलह की कार्यवाही तभी प्रारम्भ होगी जब कि वह पक्षकार



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

जिसे सुलह हेतु आमंत्रित किया गया है वह आमंत्रण को लिखित रूप में स्वीकार करे। स्पष्ट है कि मौखिक स्वीकृति पर्याप्त नहीं है अर्थात मौखिक स्वीकृति के आधार पर सुलह की कार्यवाही नहीं

आमंत्रण की विवक्षित अस्वीकृति-धारा 62(4) यह प्रावधानित करती है कि जब सुलह प्रारम्भ करने वाला पक्षकार सुलह के लिये आमंत्रण भेजता है और उस आमंत्रण में दूसरे पक्ष के द्वारा उत्तर देने के लिये कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं है तो जिस तिथि को आमंत्रण भेजा गया है उस तिथि के तीस दिन के भीतर यदि कोई संसूचना (उत्तर) नहीं प्राप्त होती, अथवा यदि उस आमंत्रण में कोई समय विनिर्दिष्ट किया गया है और उस विनिर्दिष्ट समय के भीतर उत्तर नहीं प्राप्त होता है तो दूसरा पक्षकार यह मान सकेगा कि आमंत्रण को नामंजूर कर दिया गया है।

परन्तु यदि सुलह प्रारम्भ करने वाला पक्षकार चाहे तो उत्तर न प्राप्त होने की दशा में समय सीमा को बढ़ा भी सकता है। इस धारा के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। बल्कि सुलह प्रारम्भ करने वाले पक्षकार पर यह शर्त जरूर अधिरोपित की गयी है कि यदि वह उत्तर न प्राप्त करने को आमंत्रण की अस्वीकृति के रूप में समझता है तो उसे इस तथ्य की सूचना दूसरे पक्षकार को लिखित रूप में देनी होगी।

विवाद का कोई भी पक्षकार सुलह के लिये आमंत्रण दे सकता है। दूसरे पक्षकार को यदि आमंत्रण स्वीकार हो तो उसे इसकी लिखित सूचना प्रथम पक्ष को देनी होगी। आमंत्रण में ही उसे स्वीकार करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की जा सकती है जो 30 दिन से अधिक नहीं होगी। सुलह के लिये आमंत्रण देने वाला पक्षकार अपने आमंत्रण में यह कह सकता है कि यदि आमंत्रण प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो वह मान लेगा कि सुलह के लिये निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। __अतः धारा 62 यह सुव्यवस्थित करती है कि आमंत्रण और उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति लिखित रूप में होगी और सुलह की कार्यवाही तभी प्रारम्भ हो सकती है जब विवाद के दोनों पक्षकार सुलह के लिये सहमत हों। **सुलहकर्ताओं की संख्या**-(1) सुलहकर्ता एक ही होगा



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

जब तक पक्षकारगण इस पर सहमति नहीं व्यक्त करते कि दो या तीन सुलहकर्ता होंगे।

(2) जहां एक से अधिक सुलहकर्ता हैं , वहां उनको संयुक्त रूप से कार्य करने के लिये एक सामान्य नियम के रूप में होना चाहिये। )

टिप्पणी धारा 63 सुलहकर्ताओं की संख्या निर्धारित करती है तथा स्पष्ट करती है कि सुलहकर्ताओं की अधिकतम संख्या तीन हो सकती है। यह धारा UNCITRAL की सुलह नियमावली, 1980 के अनुच्छेद 3 पर आधारित है।

धारा 63(1) के अनुसार सुलहकर्ता एक ही होगा परन्तु साथ ही साथ यह पक्षकारों को स्वतन्त्रता भी देती है कि वे यदि चाहें तो इस बात पर भी सहमत हो सकते हैं कि दो या तीन सुलहकर्ता होंगे अर्थात् यदि वे संख्या पर असहमत हों तो एक ही सुलहकर्ता होगा। एक ही सुलहकर्ता होने का लाभ यह है कि कार्यवाहियाँ कम खर्चे में त्वरित गति से हो सकती है। एक सुलहकर्ता होने से उसका पक्षकारों से अधिकतम तालमेल हो सकेगा जबकि एक से अधिक सुलहकर्ता होने पर उनके बीच भी मतभेद की सम्भावना बनी रहती है।

माध्यस्थम् की कार्यवाही में मध्यस्थों की संख्या सदैव विषम ही होगी। परन्तु सुलह कार्यवाहियों में सध्या सम अथवा विषम दोनों हो सकता है। इसका मूल कारण यह है कि माध्यस्थम् में मध्यस्थ की भूमिका विवाद पर निर्णय देने की होती है जबकि सुलह में सुलहकर्ता पक्षकारों के बीच किसी विवाद पर निर्णय नहीं गता है बल्कि वह विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह कराने का कार्य करता है।

यदि पक्षकारों के द्वारा एक से अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है , तो धारा 63 (2) के आनुसार उनका यह कर्तव्य है कि वे संयुक्त रूप से कार्य करे, तात्पर्य है कि सुलहकर्ताओं को पक्षकारों के साथ

बैठक करने का ही प्रयास करना चाहिये ताकि पक्षकारों का सुलहकर्ताओं पर विश्वास बना रहे एवं गह की कार्यवाहियाँ शीघ्रता से तथा सुगमता से संचालित हो सके। / 64



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

सुलहकर्ताओं की नियुक्ति-( 1) उपधारा (2.) के विषय में ,(क) एक सुलहकर्ता के साथ सुलह-कार्यवाही में, पक्षकारगण, एकल सुलहकर्ता के नाम पर

सहमत हो सकेंगे

पूर्ववर्ती धारा में सुलहकर्ताओं की संख्या के बारे में प्रावधान बताया गया है , प्रस्तुत धारा में सुलहकर्ताओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध है तथा इस उपबन्ध में सुलहकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में पक्षकारों की स्वतत्रता के सिद्धान्त को समाहित किया गया है। यह धारा UNCITRAL से सुलह नियमावली 1980 के अनुच्छेद 4 के अनुसार ही है।

धारा 64 (1) को धारा 64 (2) के अध्यधीन रखा गया है। तात्पर्य यह है कि जब उपधारा (2) लागू हो जाती है तो उपधारा (1) लागू नहीं होगी। इसका प्रभाव यह है कि यदि पक्षकारों ने उपधारा ( 2) के अधीन करार द्वारा सुलहकर्ता की नियुक्ति का अधिकार किसी संस्था या तीसरे व्यक्ति को दे दिया गया है तो उपधारा ( 1) के अन्तर्गत सुलहकर्ता को नियुक्त करने की उसकी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। इस उपधारा के अन्तर्गत सुलहकर्ता के चयन में ऐसी संस्था या व्यक्ति को पक्षकारों की राय या उनकी सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।

धारा 64 (1) (क) के अनुसार यदि सुलह कार्यवाही एकमात्र सुलहकर्ता द्वारा संचालित होनी है तो दोनों पक्षकारों की सुलहकर्ता के नाम पर सहमति अनिवार्य होगी , अर्थात् एकमात्र सुलहकर्ता की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से ही हो सकेगी।

उपखण्ड (ख) के अनुसार यदि पक्षकारों के बीच दो सुलहकर्ताओं की नियुक्ति का करार है तो प्रत्येक पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वह एक सुलहकर्ता की नियुक्ति करे। इसके लिये दूसरे पक्षकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड (ग) के अनुसार यदि पक्षकारों ने यह करार किया है कि सुलह कार्यवाही तीन सुलहकर्ताओं द्वारा संचालित होगी तो प्रत्येक पक्षकार एक-एक सुलहकर्ता नियुक्त करेगा तथा तीसरे सुलहकर्ता की नियुक्ति दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सहमति से ही



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

होगी। यह तीसरा मध्यस्थों की नियुक्ति से थोड़ा भिन्न इस प्रकार है कि माध्यस्थम् में तीसरा मध्यस्थ अन्य दो मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जाता है।

सुलहकर्ता की नियुक्ति का अनुकल्पी तरीका [ (धारा 64 (2)]-धारा 64 (1) के अन्तर्गत सुलहकर्ता या सुलहकर्ताओं की नियुक्ति पक्षकारों द्वारा किये जाने का प्रावधान है। धारा 64 (2) में सुलहकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुकल्पी प्रावधान किये गये हैं तथा इन प्रावधानों को उपधारा (1) पर अधिभावी प्रभाव दिया गया है।

इस उपधारा के अधीन पक्षकारों को यह स्वतन्त्रता प्राप्त है कि वे सुलहकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में उपयुक्त संस्था अथवा व्यक्ति से सहायता प्राप्त कर सके अथवा पक्षकार इस बात पर सहमत हो जायें कि एक या अधिक सुलहकर्ताओं की नियुक्ति ऐसी संस्था या व्यक्ति द्वारा स्वयं की जायेगी। इस प्रकार पक्षकार उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा दो प्रकार से सहायता प्राप्त कर सकते हैं

(i) धारा 64 (2) (क) के अन्तर्गत वे ऐसी संस्था या व्यक्ति से सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने

के लिये उपयुक्त व्यक्तियों के नाम देने का अनुरोध कर सकते हैं। ( ii) धारा 64 (2) (ख) के अन्तर्गत पक्षकार करार द्वारा ऐसी संस्था या व्यक्ति को ही यह

__ अधिकार दे सकते हैं कि वह स्वयं उपयुक्त व्यक्ति को सुलहकर्ता के रूप में नियुक्त कर सके। उल्लेखनीय है कि धारा 64 (2) (क) के अन्तर्गत विवाद का एक पक्षकार भी अनुरोध कर सकता है तथा इसके लिये दूसरे पक्षकार के सहमति की आवश्यकता नहीं है।।

उपधारा (2) का परन्तुक संस्था अथवा व्यक्ति पर कुछ कर्तव्य आरोपित करता है, यह परन्तुक यह उपबन्धित करता है कि ऐसी संस्था या व्यक्ति

(i) सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने के लिये व्यक्तियों की सिफारिश या नियुक्ति करते समय ऐसी



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

बातों को ध्यान में रखेंगे जिनसे कि स्वतन्त्र एवं तटस्थ सुलहकर्ताओं की नियुक्ति हो सके

तथा, (ii) एकमात्र या तीसरे सुलहकर्ता की नियुक्ति की दशा में, यदि ऐसा अपेक्षित हो तो वह ऐसा

व्यक्ति हो जो पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का हो जिससे स्वतन्त्रता व तटस्थता से

सुलह कार्यवाहियों या सम्पादन हो सके। सम्भवतः ऐसी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह के विषय में की जाती है कि एकमात्र या तीसरा सुलहकर्ता सम्बद्ध पक्षकारों की राष्ट्रीयता से भिन्न राष्ट्रीयता का हो। U-)

65. सुलहकर्ता को कथनों (विवरणों) का प्रस्तुतीकरण-( 1) एक सुलहकर्ता, उसकी नियुक्ति पर विवाद की सामान्य प्रकृति और वाद-बिन्दु का उल्लेख करने वाला एक संक्षिप्त लिखित कथन उसके प्रस्तुत करने का निवेदन प्रत्येक पक्षकार से कर सकेगा। प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को, ऐसे कथन की एक प्रतिलिपि भेज देगा।

(2) सुलहकर्ता, उसकी दशा का एक अग्रेतर लिखित कथन, उसके समर्थन में तथ्यों और किसी ऐसे दस्तावेज एवं दूसरे साक्ष्य जिसे कि इस प्रकार का पक्षकार उचित समझता है के द्वारा आपूर्ति किये गये उसके समर्थन में आधारों को उसको प्रस्तुत करने के लिये प्रत्येक पक्षकार से निवेदन कर सकेगा।

(3) सुलह-कार्यवाही के किसी भी चरण पर सुलहकर्ता, उसे ऐसी कोई अतिरिक्त सूचना, उसको भेजने के लिये एक पक्षकार से अनुरोध कर सकेगा जिसे वह समीचीन समझता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा और इस भाग की निम्नलिखित सभी धाराओं में सुलहकर्ता शब्द 'यथास्थिति' एक एकल सुलहकर्ता, दो या तीन सुलहकर्ताओं के प्रति लागू होता है।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

टिप्पणी प्रस्तुत धारा में पक्षकारों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे सुलहकर्ता को विवाद के कथनों को प्रस्तुत करेंगे। मूल रूप से यह धारा सुलह कार्यवाही के संचालन के प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रावधान करती है तथा कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में सुलहकर्ता पर कुछ कर्तव्य अधिरोपित करती है। यह धारा UNCITRAL की सुलह नियमावली 1980 के अनुच्छेद 5 पर आधारित है।

प्रकृति तथा विवाद्यक के बिन्दुओं का विवरण करते हुये संक्षिप्त लिखित कथन उसके समक्ष प्रस्तुत करे ! तात्पर्य है कि वे अपना-अपना पक्ष लिखित में प्रस्तुत करें। उपधारा (2) के अनुसार सुलहकर्ता प्रत्येक पक्षकार से यह अनुरोध करेगा कि वे अपनी स्थिति और उस स्थिति के समर्थन में ऐसे तथ्य , अन्य आधार और अन्य दस्तावेज तथा साक्ष्य सहित लिखित कथन प्रस्तुत करें। तात्पर्य है कि पक्षकार अपने पक्ष के समर्थन में दस्तावेजी तथा अन्य साक्ष्यों का विवरण भी दे सकते हैं। उपधारा ( 3) के अन्तर्गत सुलहकर्ता सुलह कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर पक्षकार से यह

अनुरोध कर सकेगा कि वह उसे कोई अतिरिक्त सूचना दे जिसे सुलहकर्ता उचित समझता है। धारा 65 के अन्तर्गत सुलहकर्ता को कथनों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि इसमें अभिवचन सम्बन्ध प्रारूपिक नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं होता है, न ही विवाद की प्रकृति का विस्तृत विवरण ही आवश्यक होता है। धारा 65 के अन्तर्गत कथन, साक्ष्य, दस्तावेज और अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य यह है कि सुलहकर्ता विवाद की प्रकृति और बिन्दुओं से ठीक प्रकार से अवगत हो सके जिससे वह अपनी भूमिका का निष्पक्ष रूप से निर्वहन कर सके।

धारा 65 पक्षकारों पर भी यह कर्तव्य आरोपित करती है कि वे जो कथन, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य सुलहकर्ता को धारा 65 (1) व (2) के अधीन प्रस्तुत करते हैं वे सभी दूसरे पक्षकार को भी उपलब्ध करायेंगे अथवा भेजेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि पक्षकारों को एक दूसरे के पक्ष की पूरी-पूरी जानकारी हो जाये जिससे विवाद के निपटारे में आसानी हो।



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.

**माध्यस्थम विधि**

धारा 65 के साथ जुड़े स्पष्टीकरण में यह उपबन्धित है कि इस धारा और इस भाग की आगे की सभी धाराओं में सुलहकर्ता शब्द के अन्तर्गत एक , दो या तीन जैसी भी स्थिति हो, सुलहकर्ता आयेंगे। तात्पर्य यह है कि सुलहकर्ता शब्द को बहुवचन के रूप में भी समझा जायेगा। यह सामान्य प्रज्ञा का नियम है जिसे अनावश्यक विवाद से बचने के लिये स्पष्टीकृत कर दिया गया है।

66. सुलहकर्ताओं का किन्हीं अधिनियमितियों द्वारा आबद्ध न होना-सुलहकर्ताओं को सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (1908 का 5) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 (1872 का 1) के द्वारा आबद्ध नहीं किया जाता है।

PGS National College Of Law



Disclaimer: Although all Prevention Measures are being used While making these notes but students are advise, they can consult from subject book.